श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–18.05.2026 (सोमवार) को पूर्वाह्न 09.30 बजे संपन्न विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1. श्री रवीन्द्र नाथ चौधरी, निदेशक, बि0रा0खे0प्रा0, पटना।
2. श्री उमाकान्त प्रसाद, अवर सचिव, खेल विभाग।
3. श्री हिमांशु सिंह, उप निदेशक, बि0रा0खे0प्रा0, पटना।
4. श्री सिद्धांत कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
5. श्री अजय कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
6. श्रीमती नूपुर झा, उप निदेशक, खेल विभाग।
7. श्री रंजन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
8. श्री भागीरथ प्रसाद यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
9. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा), खेल विभाग।
10. श्री नरेश कुमार चौहान, सहायक निदेशक (युवा), खेल विभाग।

कार्यवाही

(1) सर्वोच्च प्राथमिकताएँ

(क) पटना में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स सिटी के निर्माण

पटना में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण हेतु पटना जिले के पुनपुन अंचल अंतर्गत डुमरी मौजा में 100 एकड़ भूमि अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना निर्माण के संबंध में विभाग स्तर पर दो अध्ययन दल का गठन किया गया है।

उपर्युक्त के संबंध में मुख्य सचिव महोदय के समक्ष प्रस्तुतीकरण तैयार करने का निदेश भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया गया।

स्पोर्ट्स सिटी का शिलान्यास माह नवम्बर–2026 में किया जाना संभावित है। इस हेतु माह नवम्बर–2026 से पूर्व भूमि अधिग्रहण करने हेतु अद्यतन स्थिति

18.5.26

के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु समाहर्ता, पटना को पुनः स्मार पत्र भेजा जाय।

(ख) सभी जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना

प्रथम चरण में 6–7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को कार्यशील किया जाना है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की पूरी सूची बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को दिया जाय तथा प्राधिकरण को पत्र भेजकर इसका सर्वेक्षण का कार्य 01 जून, 2026 प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

संयुक्त सचिव, खेल विभाग द्वारा उप निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को विस्तृत रूप में तीन जिलों यथा– अरवल, मधेपुरा एवं किशनगंज का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है एवं शेष जिलों का प्रतिवेदन दो दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

उपर्युक्त के संबंध में उप निदेशक, बि0रा0खे0प्रा0, पटना को मैपिंग एवं रोड मैप तैयार करने का निदेश दिया गया।

(ग) पंचायत स्पोर्ट्स क्लब के लिये दी जाने वाली सुविधाएँ

बिहार राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायत एवं 154 नगर पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब का गठन किया जा चुका है।

स्पोर्ट्स क्लब को क्रियाशील बनाने एवं दी जानेवाली सुविधाओं का आकलन हेतु जिला खेल पदाधिकारी द्वारा स्पोर्ट्स क्लब के पदधारकों के साथ बैठक से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने एवं साथ ही प्राप्त सुझाव के आधार पर स्पोर्ट्स क्लब को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

उपर्युक्त के संबंध में संयुक्त सचिव, खेल द्वारा स्पोर्ट्स क्लब के संचालन हेतु स्पोर्ट्स क्लब के सचिव एवं स्पोर्ट्स क्लब से संबद्ध शारीरिक शिक्षक के नाम से संयुक्त बैंक खाता खुलवाने हेतु पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

पंचायत स्पोर्ट्स क्लब को क्रियाशील बनाने हेतु मार्गदर्शिका तैयार हो चुकी है। संचिका में शीघ्र उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

पंचायत क्लब को खेल सामाग्री उपलब्ध कराने हेतु 4–5 एजेंसी को निविदा के माध्यम से चयन करने का निदेश बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को दिया गया। चयनित एजेंसी जिला स्तर पर खेल क्लब को खेल सामग्री उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को निविदा का प्रकाशन 15 दिनों के अन्दर किये जाने का निदेश दिया गया।

(घ) मेडल लाओ नौकरी पाओ

मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना अन्तर्गत उत्कृष्ट प्रतिभावान खिलाड़ियों के चयन प्रक्रिया ट्रायल के माध्यम से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा कितने खिलाड़ियों का ट्रायल कराया गया है एवं शेष कितने हैं। इसकी विस्तृत सूची विभाग को अविलंब उपलब्ध कराने एवं एक सप्ताह के अन्दर कार्य समाप्त करने का निदेश निदेशक, बि0रा0खे0प्रा0, पटना को दिया गया। तदोपरान्त अग्रेत्तर कारवाई हेतु संचिका सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजी जाय।

(च) खेल विभागान्तर्गत अवसंरचनाओं एवं सुविधाओं का लाभ

जिला स्तर पर उपलब्ध खेल भवन सह व्यायामशाला में मल्टी जिम अधिष्ठापित है। आमजनों/खिलाड़ियों के लिए शुल्क के आधार पर इसके उपयोग की विभागीय मार्गदर्शिका पूर्व से निर्गत है।

राज्य के विभिन्न प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियमों में प्रचलित खेल विधा के अनुरूप प्रशिक्षक स्थानीय स्तर के खिलाड़ियों में से खेल प्रशिक्षण के लिये चिन्हित एवं सम्बद्ध करने हेतु सभी जिला खेल पदाधिकारी/अधीक्षक/उपाधीक्षक शा0 शि0 को निदेश दिया जा चुका है।

उपर्युक्त के संबंध में जिला स्तर पर आम आदमी को कैसे सुविधा पहुँचाई जाय, इस संबंध खेल विभाग के Website में लिंक उपलब्ध नहीं कराया गया इस

हेतु श्री अशोक पाल, संयुक्त निदेशक, NIC, पटना से समन्वय स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश उप निदेशक, श्रीमती नूपुर झा को दिया गया।

(छ) जिलों के द्वारा दिये गये फीडबैक को समेकित करते हुए पी0पी0टी0 तैयार किया जाय, जिसमें शा0 शि0 को भी खेल क्लब से जोड़ना है एवं पंचायतों में खेल सामग्री की सूची (दस हजार के अंदर) तैयार करने का निदेश श्री हिमांशु कुमार, उप निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को दिया गया।

(ज) भूतपूर्व माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार से प्राप्त पत्र के आलोक में वेन प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(झ) प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को आमजनों के समस्याओं से संबंधित नोटिस बोर्ड लगाये जाने एवं प्राप्त आवेदन से संबंधित एक अलग रजिस्टर में अंकित करने का निदेश दिया गया।

सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला खेल पदाधिकारी को सोमवार एवं शुक्रवार को आमजनों के समस्याओं से संबंधित सुनवाई की कार्यवाही का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

उपर्युक्त के संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी जिला खेल पदाधिकारी से अद्यतन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(ट) साईं के तर्ज पर एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्र को सुदृढ़ करने हेतु निजी भागीदारी की क्या रूप–रेखा होगी? इससे संबंधित दिशा–निर्देश तैयार करने हेतु श्री हिमांशु कुमार, उप निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को निदेश दिया गया।

(ठ) राष्ट्रीय एवं अतंर्राष्ट्रीय पदक विजेता पूर्व खिलाड़ियों (पूर्व ओलंपियन/मेडलिस्ट) का नामकरण की सूची तैयार करने हेतु श्री हिमांशु कुमार, उप निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को निदेश दिया गया।

(ङ) श्री अभिनव बिंद्रा, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता पूर्व भारतीय खिलाड़ी द्वारा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर स्थापित करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है। इस संबंध में अभिनव बिंद्रा से प्राप्त पत्र के आलोक में चरणबद्ध तरीके से वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

उपर्युक्त के संबंध में संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(2) <u>आगामी योजनाएँ</u>

(i) राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन करनाः—

विगत वर्ष राज्य में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता का सफल आयोजन विभाग के द्वारा कराया गया है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण विषय हैः—

ओलंपिक स्तर पर पदकों की प्राप्ति हेतु दीर्घकालीक खेल प्रतिभाओं के विकास की आवश्यकता को देखते हुये राज्य में ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर (OTC) की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- आगामी वर्षो में निम्नांकित खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रस्तावित हैः—
  1. वर्ष—2028 में नेशनल यूथ गेम्स— इस संबंध में भारतीय ओलम्पिक संघ, नई दिल्ली को स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।
  2. वर्ष—2030 में विश्व कप हॉकी इस संबंध में हॉकी इंडिया, नई दिल्ली को स्मार पत्र भेजा जाने का निदेश दिया गया।
  3. वर्ष—2031 में राष्ट्रीय खेल आयोजन की तैयारी करने हेतु संबंधित प्रशाखा को निदेश दिया गया। इस संबंध में भारतीय ओलम्पिक संघ को पुनः स्मार पत्र भेजा जाय।

(ii) प्रत्येक जिला में जो प्रखंड स्तरीय स्टेडियम एवं अन्य खेल अवसंरचना बना हुआ है। उसमें से **81 स्टेडियम** जहाँ पर प्रशिक्षण हेतु अवसंरचना अच्छी स्थिति में हैं। उसकी सूची तैयार कर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से विमर्श करने का निदेश एवं इसका भौतिक रूप से निरीक्षण करने का निदेश सभी संबंधित जिला खेल पदाधिकारियों/अधीक्षक/उपाधीक्षक शा0 शि0 को दिया गया है।

(iii) **हाफ मैराथन, राजगीर**

प्रत्येक वर्ष हाफ मैराथन का आयोजन वाल्मीकिनगर एवं राजगीर में होना प्रस्तावित है। जिसके लिए वार्षिक कैलेंडर में उक्त आयोजनों को सम्मिलित करने हेतु महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को अनुरोध पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(iv) राज्य में उत्कृष्ट खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों को चिन्हित करने की कार्रवाई किया जाय ताकि समुचित प्रशिक्षण हेतु विश्वस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों में भेजा जा सके।

निर्मित आउटडोर स्टेडियम के उस क्षेत्र में प्रशिक्षित खेल विधाओं में प्रशिक्षण आरंभ करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए श्री नरेश कुमार चौहान, सहायक निदेशक (युवा) को निदेश दिया गया।

(3) प्राथमिकताएँ

(i) विपत्रों का ससमय भुगतान

विपत्रों का ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जाय तथा प्रशाखा पदाधिकारी–02 एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/उच्चवर्गीय लिपिक द्वारा प्रत्येक सप्ताह प्रमाण पत्र दिया जाय कि अबतक कोई भी विपत्र भुगतान हेतु लंबित नहीं है। संचिका के माध्यम से अपर मुख्य सचिव के समक्ष इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि सभी का भुगतान हो चुका है।

(ii) आवंटन

(क) संयुक्त सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि प्रशाखा पदाधिकारी–02 द्वारा बजट उपबंध के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना, राज्य खेल अकादमी, राजगीर, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराये गये स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश सूची तैयार कर संबंधित से उपयोगिता प्रमाण–पत्र की मांग की जाय।

प्रशाखा पदाधिकारी–02 को निदेश दिया गया कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा अबतक कितना स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को प्राप्त हुआ है तथा कितने उपयोगिता प्रमाण–पत्र शेष है। इसकी सूची के साथ दिनांक–18.05.2026 को आयोजित होने वाले बैठक में उपस्थित रहेंगे।

प्रशाखा पदाधिकारी–02 द्वारा बताया गया कि कुल–16 आवंटन का उपयोगिता प्रमाण–पत्र छायाप्रति के रूप में प्राप्त है। इस कार्य का अनुश्रवण कर 01 माह के अंदर मामले को निष्पादित किया जाय।

उपर्युक्त के संबंध में श्री रविन्द्र नाथ चौधरी, निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को पुनः स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(ख) उपयोगिता प्रमाण–पत्र

(1) BTC- 42A (TV NO. and Bill No. के साथ)
(2) चेकलिस्ट
(3) Bill/Voucher की छायाप्रति (अभिप्रमाणित)
(4) स्वीकृत्यादेश की प्रति
(5) आवंटनादेश की प्रति

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में पूर्व के आवंटन यदि शेष है, तो उस संबंध में पत्राचार करने (जिसमें स्थापना एवं अन्य मद) साथ ही खेलो इंडिया यूथ

गेम्स–2025, खेल विभाग एवं खेल निदेशालय में कराये गये कार्यों का बकाया राशि से संबंधित संचिका अविलम्ब उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(ग) बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित राशि सामान्य मद के तहत माँगी गई है। संयुक्त सचिव को संबंधित संचिका का अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

(iii) <u>बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से निम्नांकित बिंदुओं पर प्रतिवेदन अपेक्षित है:–</u>

1. विगत वर्षों में आयोजित की गई विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगताओं के लिए जो राशि उपलब्ध कराई गई है। उस राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विस्तृत रूप से मदवार एवं एजेंसीवार दी जाय।

2. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा 27 एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है एवं 18 एकलव्य केन्द्रों का संचालन करने हेतु अद्यतन प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु श्री हिमांशु कुमार, उप निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को निदेश दिया गया।

संयुक्त सचिव एवं सहायक निदेशक (क्रीड़ा/युवा) द्वारा जिला स्तरीय आउटडोर स्टेडियम, पंचायत खेल मैदान के निरीक्षण के दौरान जिले में संचालित एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्र का भी निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षण केन्द्र के आवासन, भोजन, प्रशिक्षण, पठन–पाठन एवं खेल उपस्कर से संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षुओं से स्वयं वार्त्ता कर स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

3. भारत सरकार के खेल नीति के अनुरूप राज्य खेल नीति–2026 बनाए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/विधि विभाग/शिक्षा विभाग/ पर्यटन विभाग, बिहार, पटना का मंतव्य प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

(iv) राज्य खेल अकादमी, राजगीर में पदाधिकारी/कर्मियों के प्रतिनियुक्ति के संबंध में

राज्य खेल अकादमी, राजगीर हेतु एक प्रशाखा पदाधिकारी, एक लेखा पदाधिकारी, उच्चवर्गीय लिपिक एवं निम्नवर्गीय लिपिक का प्रतिनियुक्त करना आवश्यक है। इस संबंध में पुनः स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(v) MIS Module (App) – पंचायत/प्रखंड/जिला/प्रमंडल स्तरीय एवं अन्य निर्मित/निर्माणाधीन खेल अवसंरचनाओं की विवरणी फोटो सहित विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सभी जिला खेल पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 बिहार को निदेशित किया गया है। अबतक 6178 खेल अवसंरचनाओं का विवरण जिलों द्वारा विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

समीक्षा के क्रम में पूर्ण/स्वीकृत/निर्माणाधीन एवं खेलो इंडिया योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार की योजना का पूर्ण विवरण एवं **अद्यतन फोटोग्राफ** भी **प्रत्येक सप्ताह अपलोड किये जाने एवं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजे जाने का** निदेश सभी जिला खेल पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0, बिहार को दिया गया। इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 बिहार को भी पत्र भेजने का निदेश दिया गया। इससे संबंधित सूची के साथ बैठक में उपस्थित होंगे।

(vi) भू–अर्जन हेतु आवंटन– वर्ष 2025–26 में मंत्रिमंडल द्वारा 574 करोड़ रूपये भू–अर्जन हेतु स्वीकृति दी गई है। जिसमें 244 करोड़ रू0 का भुगतान समाहर्ता, पटना को किया जा चुका है।

(4) नियुक्ति से संबंधित अधियाचना

पाँच नियुक्ति नियमावली के आलोक में रिक्त पदों पर नियुक्ति संबंधी अधियाचना संबंधित आयोग को भेजी जा चुकी है।

बिहार खेल अधीनस्थ सेवा एवं बिहार खेल सेवा संवर्ग के नियुक्ति से संबंधित परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है। शेष नियुक्ति से संबंधित परीक्षा की संभावित तिथि जून–जुलाई, 2026 दिया गया है।

जिला खेल पदाधिकारी की परीक्षा दो माह पूर्व सम्पन्न हो चुकी है। इस हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को परीक्षाफल के संबंध में पत्र भेज कर अग्रेतर सूचना प्राप्त की जाय।

(5) खेल विधेयक

खेल विधेयक (2026) की संचिका माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदन हेतु माह मई में उपस्थापित किये जाने का निदेश दिया गया।

(6) बैठक के संबंध में

राज्य खेल अकादमी, राजगीर के साथ लंबित मामलों का समीक्षा हेतु अगली बैठक **दिनांक–10.06.2026 (बुधवार)** को **पूर्वाह्न 10:00 बजे** आयोजित करने का निदेश दिया गया।

(7) ग्राम/नगर पंचायत में खेल मैदान का निर्माण

(क) 04 पंचायतों में खेल मैदान चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु 02 जिलों यथा– अरवल (02) एवं गया (02) से प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु जिलों के जिला पदाधिकारियों को स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(ख) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन पंचायत स्तरीय खेल मैदानों का सूची/विवरण प्राप्त किया जाय। जिला खेल पदाधिकारी एवं खेल विभाग के पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु कार्यक्रम बनाने का निदेश दिया गया।

(ग) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा 8053 ग्राम पंचायतों में से 4704 ग्राम पंचायतों में 5183 खेल मैदान का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा 141 निर्माणाधिन है। शेष 3349 पंचायतों में भी खेल मैदान निर्माण कराने हेतु भूमि चिन्हित करने के लिए समाहर्ता को पत्र भेजा जाय तथा इसकी छायाप्रति जिला खेल

(10)

पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त को भी दिया जाय तथा इस संबंध में प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग, पटना को अर्द्ध–सरकारी पत्र भेजा जाय।

(8) आउटडोर स्टेडियम निर्माण / जीर्णोद्धार

(क) 198 प्रखण्डों में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाना है। 173 प्रखण्डों में स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। 25 प्रखण्डों हेतु भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव प्राप्त किया जाना है। जिन प्रखण्डों हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है, उन प्रखण्डों में आउटडोर स्टेडियम निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्राप्त कर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम के निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन अद्यतन किये जाने का निदेश दिया गया।

(ख) संबंधित जिला खेल पदाधिकारियों अधीक्षक / उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, बिहार से जो अच्छी स्थिति में स्टेडियम हो, जिसमें खेल कार्यक्रम शुरू हो सके, उक्त संबंध में जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन को समेकित करने का निदेश दिया गया।

(9) जिला स्तरीय खेल भवन–सह–व्यायामशाला

(क) 25 जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 13 जिलों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है एवं अद्यतन स्थिति से संबंधित सूची विभाग द्वारा तैयार किया जाय।

(ख) खेल भवन–सह–व्यायामशाला संचालन के संबंध में विहित प्रपत्र विकसित किया जाय। इस प्रपत्र में सूचना जिला खेल पदाधिकारी से प्राप्त कर, इसकी समीक्षा साप्ताहिक बैठक में PPT के माध्यम से की जाय।

(ग) जिन जिलों में खेल भवन–सह–व्यायामशाला का निर्माण हो चुका है, उन जिलों से निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन प्राप्त करें–

I. खेल भवन–सह–व्यायामशाला खेल विभाग के प्रभार में है या कोई अन्य सामग्री या अन्य प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं।

II. खेल भवन–सह–व्यायामशाला की सुरक्षा, रख–रखाव, साफ–सफाई हेतु कर्मी के संख्या एवं उनके भुगतान की क्या स्थिति है।

III. जिला खेल पदाधिकारी का कार्यालय खेल भवन–सह–व्यायामशाला में अधिष्ठापित है या नहीं।

IV. बिजली भुगतान की क्या स्थिति है।

V. सी0सी0टी0वी0 कैमरा का अधिष्ठापन, वाहन, ट्रेनर है या नहीं।

VI. खेल भवन में खेल सामग्री है या नहीं।

VII. इन सभी के संबंध में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हेतु एक प्रपत्र तैयार कर ली जाय।

VIII. क्या AC, जेनरेटर सेट, आर0ओ0 वाटर प्यूरीफायर का अधिष्ठापन पूर्व से किया गया है अथवा नहीं?

IX. क्या सुरक्षा गार्ड एवं सफाईकर्मी की व्यवस्था है, यदि हाँ तो कितने सुरक्षाकर्मी एवं कितने सफाईकर्मी है?

X. क्या जिम एवं खेल उपकरण का उपयोग करने वाले व्यक्ति/खिलाड़ियों से शुल्क लिया जाता है, यदि हाँ तो शुल्क की राशि कितनी है?

उपर्युक्त के संबंध में निदेशक, खेल विभाग द्वारा कंडिकावार अद्यतन सूचना अंकित करते हुए प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

खेल भवन–सह–व्यायामशाला कैसे उपयोग हो रहा है एवं कैसे उपयोग होगा? इसके संबंध में एक लिंक तैयार करने एवं पी0पी0टी0 तैयार करने हेतु श्री हिमांशु सिंह, उप निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को निदेश दिया गया।

इस कार्य का अनुश्रवण श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव करेंगे।

(घ) बक्सर जिला अंतर्गत खेल भवन–सह–व्यायामशाला के निर्माण हेतु नये भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए जिला पदाधिकारी, बक्सर को स्मार पत्र भेजा गया है। इसका अनुश्रवण किया जाय।

(10) प्रमंडल स्तरीय खेल अवसंरचना का निर्माण

प्रमंडल स्तर पर खेल अवसंरचना के निर्माण हेतु मुंगेर एवं दरभंगा में वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मार पत्र भेजा जाय।

प्रमंडल स्तरीय खेल अवसंरचना के निर्माण हेतु नक्शा उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रमंडलीय मुख्यालय में चिन्हित जमीन की कॉपी मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(11) राज्य स्तरीय अवसंरचना निर्माण/जीर्णोद्धार

(i) मोईनुल हक स्टेडियम

संयुक्त सचिव, खेल विभाग की अध्यक्षता में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) की अगली बैठक दिनांक– **18.05.2026 (सोमवार) को पूर्वाह्न 10:00** बजे में निर्धारित की गई है, जो स्थागित की गई है। अगली बैठक हेतु संचिका उपस्थापित किया गया जाय। इसकी सूचना बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को दिया जाय।

(ii) बी0पी0 सिन्हा राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर पटना का पुर्ननिर्माण

बी0पी0 सिन्हा राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पटना के पुनर्निर्माण हेतु प्राक्कलन विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

इस संबंध में संचिका योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना से वापस प्राप्त हुई।

(12) बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर

कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर से प्राप्त सभी पत्रों का निष्पादन शीघ्र किया जाय।

विश्वविद्यालय संविधि से संबंधित मामले पर विद्वान महाधिवक्ता के निदेश के आलोक में कार्रवाई की जाय।

(13) माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान किये गये घोषणा की अद्यतन स्थिति

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में खेल विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खेल अवसंरचना निर्माण हेतु सभी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त सभी अवसंरचना निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं/कठिनाइयों का शीघ्र निराकरण कराया जाय। साथ ही अवसंरचना निर्माण कार्य का अनुश्रवण किया जाय।

संयुक्त सचिव, खेल द्वारा नवगछिया एवं जहानाबाद जिला में प्रगति यात्रा से संबंधित खेल अवसंरचनाओं का निर्माण कार्य हेतु कृषि विभाग की चिन्हित भूमि के संबंध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करने हेतु संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(14) माननीय सांसद, मंत्री एवं विधायक से निर्माण संबंधित प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई

माननीय सांसद, मंत्री एवं विधायक से निर्माण संबंधित प्राप्त पत्रों का सूची तैयार कर लिया जाय।

(15) जिलों में निर्मित/निर्माणाधीन खेल अवसंरचनाओं का निरीक्षण कार्यक्रम

(क) श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव निरीक्षण हेतु जिलावार क्षेत्र भ्रमण का अगले एक साल का कार्यक्रम (सोमवार एवं बुधवार को छोड़कर) जल्द निर्धारित कर सचिव को अवगत करायेंगे।

(ख) प्रत्येक जिला का भ्रमण सहायक निदेशक (युवा) एवं सहायक निदेशक (क्रीड़ा) द्वारा किया जायेगा। इन दोनों के साथ सहायक अभियंता रहेंगे। इसके अन्तर्गत सहायक निदेशक (युवा)/सहायक निदेशक (क्रीड़ा) एक दूसरे के अन्तराल पर जायेंगे। निरीक्षण हेतु जिलावार क्षेत्र भ्रमण का अगले एक साल का

कार्यक्रम (सोमवार एवं बुधवार को छोड़कर) जल्द निर्धारित कर अवगत कराये जाने का निदेश दिया गया।

निरीक्षण निम्न अवसंरचनाओं का किया जाना हैः–

1. खेल भवन–सह–व्यायामशाला, भवन
2. मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र
3. मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत प्रखण्ड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम
4. नगर एवं ग्राम पंचायत में निर्मित खेल अवसंरचना
5. प्रमण्डल स्तरीय खेल मैदान
6. इण्डोर स्टेडियम
7. एम0आई0एस0
8. संबंधित कार्यालय के कर्मियों की सूची।
9. आवंटन एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि से संबंधित मामले।

क्षेत्र भ्रमण हेतु आने–जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व स्थापना शाखा द्वारा किया जायेगा।

संबंधित जिला के निरीक्षण किये जाने वाले खेल अवसंरचना की सूची संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए खेल अवसंरचनाओं के कार्यकारी एजेंसी को भी उपस्थित रहने हेतु संबंधित को पत्र भेजे जाने के साथ संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को निरीक्षण से संबंधित सूचना भेजी जाय तथा उनसे सम्पर्क कर अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया।

(16) खेल विभाग की वेबसाईट

खेल विभाग के वेबसाईट पर विभागीय सूचनाओं को अपलोड करने हेतु निम्नवत् निदेश उप निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क को दिया गया

(क) मंत्रिमंडल से अनुमोदित संलेखों, संकल्पों, दिशानिर्देशों एवं महत्वपूर्ण पत्रों को आई0टी0 प्रबंधक से विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करायेंगी।

(ख) सुलभ संगणक का विभागीय वेबसाईट पर अलग से प्रतीक (ICON) बनाना।

(ग) विभागीय वेबसाईट को सामान्य प्रशासन विभाग एवं अन्य विभागों के तर्ज पर परिष्कृत करना।

(17) सभी प्रशाखा पदाधिकारी निर्गत महत्वपूर्ण पत्रों, दिशा–निर्देशों एवं अधिसूचना आदि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आई0टी0 प्रबंधक को अलग से प्रतिलिपि देंगे।

18/05/26

(निरंजन कुमार)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 1/स्था०–05–06/2024.1838/ पटना/दिनांक–20.5/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

18/05/26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 1/स्था०–05–06/2024.1838/ पटना/दिनांक–20.5/2026

प्रतिलिपिः– कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर/निदेशक (खेल) के आशुलिपिक /निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/आयुक्त मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/संयुक्त सचिव/उप निदेशक/अवर सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक निदेशक, (क्रीड़ा, युवा, योजना)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी जिला खेल पदाधिकारी/अधीक्षक/उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा, बिहार/ आई0टी0 मैनेजर/सभी संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं कर्मी, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/05/26

संयुक्त सचिव।

18.5.26